झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/319/2008– 439 /राँची, दिनांक :– 30.03.13

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत बटाने जलाशय योजना के पुनर्वास कार्यों हेतु रू० 560.00 लाख (रूपये पाँच करोड़ साठ लाख) मात्र की राशि की अग्रिम निकासी की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आदेश स्वीकृत।

2. बटाने जलाशय योजना, झारखण्ड एवं बिहार की एक संयुक्त पुरानी सिंचाई योजना है जिसके अवशेष कार्यों को पूरा करने हेतु बिहार सरकार द्वारा झारखण्ड सरकार को अब तक रू० 1046.00 लाख की राशि उपलब्ध करायी गयी है। इस योजना के झारखण्ड राज्य अवस्थित सभी कार्यों को बिहार एवं झारखण्ड सरकार के बीच वर्ष 2006 में सम्पन्न एम०ओ०यू० के अनुसार जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा हीं कराया जाना है लेकिन योजना के संयुक्त अवयवों (डैम, बराज, मुख्य नहर इत्यादि) की लागत में बिहार सरकार भी लाभ आधारित फार्मूले के अनुसार अपनी हिस्सा झारखण्ड सरकार को समय–समय पर उपलब्ध कराती रहेगी।
3. योजना को वित्तीय वर्ष (2013–14) तक पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं तदनुसार झारखण्ड एवं बिहार द्वारा रू० 1418.17 लाख का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
4. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार योजना में पुनर्वास एवं भू–अर्जन हेतु रू० 934.00 लाख का प्रावधान है एवं शेष राशि में परियोजना के विभिन्न अवयवों (मुख्य रूप से डैम एवं बराज का गेट, नहरों में मिट्टी कार्य एवं संरचना कार्य) शामिल है।
5. उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार विभागीय पत्रांक–7ब/4701 यो०ज०सं०–01/2012–203 राँची दिनांक 22.02.2013 द्वारा रू० 560.00 लाख का आवंटन कार्य से सम्बन्धित रूपांकण प्रमंडल सं०–1, मेदिनीनगर को निर्गत किया गया है जो पुनर्वास कार्य के अन्तर्गत विस्थापितों के मुआवजा भुगतान पर होने वाले व्यय के लिये कर्णांकित है। यह राशि कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं०–1, मेदिनीनगर द्वारा पुनर्वास पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर को उपलब्ध कराया जाना है ताकि पुनर्वास का कार्य चलता रहे। इस हेतु राशि की अग्रिम निकासी की आवश्यकता है।
6. वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत ज्ञाप संख्या–एम०–4–05/98–2561(वि०)(2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका–15 एवं 16 तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के पत्रांक–265 मेदिनीनगर दिनांक 28.02.2013 में किये गये अनुरोध के आलोक में बटाने जलाशय योजना के पुनर्वास कार्यों हेतु कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं०–1, मेदिनीनगर को एक मुश्त अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०	प्रमंडल का नाम	अग्रिम प्राप्तकर्त्ता	स्वीकृत अग्रिम की राशि
1	2	3	4
1.	कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमण्डल सं०–1, मेदिनीनगर	पुनर्वास पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर	रू० 560.00 लाख

C:\sam\Node 5\Bass\Sec.doc

7. अग्रिम निकासी की राशि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के आवंटन पत्रांक– 7ब/4701 यो०ज०सं०–01/2012–203 राँची दिनांक 22.02.2013 में वर्णित मुख्य शीर्ष–4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–80 सामान्य, लघु शीर्ष–800 अन्य व्यय, उप शीर्ष–71 छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत 2011–12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्यक्रम दायित्व विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड– 49P47018080071 0545 के अन्तर्गत भारित है।

8. अग्रिम निकासी हेतु आवंटित राशि वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत है तथा संबंधित अवधि में राशि व्यय करने के लिये विभाग को सक्षमता है।

9. अग्रिम निकासी प्रस्ताव पर महामहिम राज्यपाल झारखण्ड के माननीय सलाहकार (जल संसाधन) की अनुमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापंक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/319/2008– 439 /राँची, दिनांक :– 30/3/13

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापंक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/319/2008– 439 /राँची, दिनांक :– 30/3/13

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमण्डल सं०–1, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापंक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/319/2008– 439 /राँची, दिनांक :– 30/3/13

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव